

भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-1 खंड-1 में प्रकाशनार्थ

फा. सं. 6/43/2026-DGTR

भारत सरकार

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

दिनांक: 25.09.2026

जांच शुरुआत अधिसूचना

सेतु केस आईडी - AD/OI/046/2026

विषय: चीन जन. गण. से टी-आकार की एलिवेटर/लिफ्ट ठोस गाइड रेलों के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

1. फा. सं. 6/43/2026-DGTR: समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद "अधिनियम" कहा गया है) तथा समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद "नियमावली" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, सावेरा इंडिया राइडिंग सिस्टम्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (जिसे इसके बाद "आवेदक" कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष चीन जन. गण. (जिसे इसके बाद "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल की अथवा वहां से निर्यातित टी-आकार की एलिवेटर/लिफ्ट ठोस गाइड रेलों (जिन्हें इसके बाद "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "संबद्ध वस्तु" अथवा "पीयूसी" कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए आवेदन दायर किया है।
2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है और उसने संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

3. आवेदक ने कहा है कि समान विचाराधीन उत्पाद और समान संबद्ध देश के संबंध में पाटनरोधी जांच अधिसूचना फा. सं. 6/14/2024-DGTR दिनांक 29 जून 2024 द्वारा शुरू की गई थी, प्राधिकारी ने अपने अंतिम जांच परिणाम दिनांक 27 अगस्त 2025 द्वारा पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी और उसके अनुसरण में कोई पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया गया। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान में संबद्ध वस्तु पर कोई पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं है और तदनुसार वर्तमान आवेदन नियमावली के नियम 5 के अनुसार मूल जांच शुरू करने के लिए आवेदन है। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि पूर्व कार्यवाही में दर्ज निर्धारण अब प्रस्तावित जांच अवधि के संबंध में पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के प्रथम दृष्टया साक्ष्य की आवश्यकता को समाप्त नहीं करते हैं और वर्तमान आवेदन की वर्तमान में रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर नए सिरे से जांच की गई है।

क. विचाराधीन उत्पाद

4. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "टी-आकार की एलिवेटर/लिफ्ट ठोस गाइड रेलें" है, जिसे बाजार में ठोस लिफ्ट गाइड रेलें अथवा ठोस गाइड रेलें भी कहा जाता है।
5. पीयूसी वह पथ बनाता है जो एलिवेटर/लिफ्ट कार तथा, जहां लागू हो, प्रतितुल्य भार/संतुलन भार को होइस्टवे में ऊर्ध्वाधर आवागमन के दौरान मार्गदर्शन देता है। यह संरचनात्मक दृढ़ता एवं मार्गदर्शन प्रदान करता है, आरामदायक यात्रा उपलब्ध कराने के लिए क्षैतिज तल में कंपन को न्यूनतम करता है और अपनी ठोस संरचना के कारण सुरक्षा गियर को कार को रोकने और रोके रखने में सक्षम बनाता है। पीयूसी होइस्टवे की दीवार पर स्थापित किया जाता है और क्लिप्स एवं ब्रैकेट्स द्वारा उससे स्थिर किया जाता है। आवेदक ने टी-प्रकार की गाइड रेलों के संबंध में ISO 8100-33:2022 (पूर्व में ISO 7465:2007) और भारतीय मानक IS 17806:2022 का भी संदर्भ दिया है और कहा है कि उक्त मानक को भारत में अनिवार्य बनाने वाला कोई गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी नहीं किया गया है।
6. पीयूसी के दायरे में सभी प्रकार और आयामों की टी-आकार की एलिवेटर/लिफ्ट ठोस गाइड रेलें शामिल हैं, जिनकी अनुप्रस्थ काट की आयामी चौड़ाई 127 मि.मी. तक और

127 मि.मी. सहित है, चाहे ग्राहक-विशिष्ट आयाम अथवा नामकरण कुछ भी हो। निम्नलिखित को पीयूसी के दायरे से बाहर रखा गया है: (i) कोल्ड-ड्रॉन गाइड रेलें, अर्थात् कोल्ड-ड्रॉइंग प्रक्रिया से विनिर्मित ठोस गाइड रेलें, जिसमें अंतिम आयाम निर्धारित होते हैं और तैयार गाइड रेलों के यांत्रिक गुणों तथा सतही विशेषताओं में परिवर्तन होता है, जिन्हें सामान्यतः T65/A, T45/A और T50/A के रूप में नामित किया जाता है; और (ii) सभी खोखली गाइड रेलें, चाहे वे खुली-प्रोफाइल अथवा बंद-प्रोफाइल हों, वेल्डेड अथवा गैर-वेल्डेड हों, और आयाम, विनिर्देश अथवा ग्रेड कुछ भी हो, जिनमें आकारित शीट मेटल से विनिर्मित गाइड रेलें भी शामिल हैं।

7. आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि संबद्ध वस्तु का आयात फिशप्लेटों सहित अथवा बिना फिशप्लेटों के किया जा सकता है और फिशप्लेटें विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं। आवेदक ने यह भी प्रस्तुत किया है कि विचाराधीन उत्पाद के कुछ आयात फिशप्लेटों सहित किए गए हैं। चूंकि फिशप्लेटें विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं, इसलिए निष्पक्ष तुलना के लिए यह आवश्यक है कि फिशप्लेटों से संबद्ध मूल्य और भार को विश्लेषण से बाहर रखा जाए। तदनुसार, निर्यातकों को निर्देशित किया जाना चाहिए कि वे फिशप्लेटों सहित आपूर्ति की गई गाइड रेलों के निर्यात का अलग ब्यौरा उपलब्ध कराएं, जिसमें फिशप्लेटों से संबद्ध संगत मूल्य और भार की पहचान की गई हो।
8. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह मुद्दा वर्तमान जांच के दायरे तथा कीमतों की निष्पक्ष तुलना, दोनों के लिए प्रासंगिक है, क्योंकि आयातों का एक हिस्सा फिशप्लेटों के साथ भारत में आया है। वर्तमान जांच की शुरुआत में विचाराधीन उत्पाद में केवल ठोस गाइड रेल शामिल है, जबकि गाइड रेलों के साथ आयातित फिशप्लेटें विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा नहीं हैं। तदनुसार, संबद्ध देश के उत्पादकों/निर्यातकों को अपने निर्यात का अलग ब्यौरा प्रस्तुत करना होगा, जिसमें गाइड रेलों और फिशप्लेटों से संबद्ध मूल्य और मात्रा अलग-अलग दर्शाई गई हो। विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए फिशप्लेटों के उपयुक्त व्यवहार की जांच जांच के दौरान की जाएगी। हितबद्ध पक्षकार इस संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।
9. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के लिए मापन की इकाई मीट्रिक टन (एमटी) है।

10. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची की टैरिफ मदों 8431 31 00, 8431 39 10 और 8431 39 90 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। संबद्ध वस्तु के कुछ आयात टैरिफ मद 7308 90 90 के अंतर्गत भी रिपोर्ट किए गए हैं। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
11. आवेदक ने ठोस गाइड रेल के मॉडल/प्रकार पर आधारित उत्पाद नियंत्रण संख्या ("पीसीएन") पद्धति प्रस्तावित की है। "T" टी-आकार की प्रोफाइल को दर्शाता है और संख्यात्मक पदनाम मिलीमीटर में अनुप्रस्थ काट की आयामी चौड़ाई को दर्शाता है; "1B" अथवा "2B" अथवा 1/B जैसे प्रत्यय किसी मॉडल के भीतर डिजाइन भिन्नताओं को दर्शाते हैं।

पीसीएन पैरामीटर	विवरण / मॉडल पदनाम	प्रस्तावित पीसीएन
मॉडल / प्रोफाइल पदनाम	T70	T70
	T75	T75
	T78	T78
	T82	T82
	T82-2B	T82-2B
	T89	T89
	T89-1B	T89-1B
	T89-2B	T89-2B
	T90	T90
	T114	T114
	T125	T125
	T127-1/B	T127-1/B
	T127-2/B	T127-2/B
	पीयूसी के दायरे में आने वाला अन्य / कस्टम / गैर-मानक मॉडल	OT*

**"अन्य" (OT) श्रेणी के अंतर्गत हितबद्ध पक्षकारों को प्रत्येक व्यक्तिगत वाणिज्यिक मॉडल को एक पृथक प्रविष्टि के रूप में रिपोर्ट करना आवश्यक होगा, बशर्ते वह पूर्ववर्ती तालिका में स्पष्ट रूप से शामिल न हो।*

12. सभी हितबद्ध पक्षकारों को सलाह दी जाती है कि वे पीयूसी के दायरे और प्रस्तावित पीसीएन पद्धति पर अपनी टिप्पणियां उन सूचना-पत्रों के प्रेषण की तारीख से 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करें, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, आवेदन का अगोपनीय पाठ और संबंधित प्रश्नावली/प्रश्नावलियां ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों तथा संबद्ध देश/देशों के राजनयिक प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों को भेजी जाएंगी।

ख. समान वस्तु

13. आवेदक ने कहा है कि उसके द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और चीन जन. गण. से निर्यातित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उत्पाद और आयातित संबद्ध वस्तु भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, कार्यों एवं उपयोगों, मूल्य निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं; वे तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और उपभोक्ताओं द्वारा परस्पर विनिमेय रूप से उपयोग किए जाते हैं। अतः वर्तमान जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ, आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान "समान वस्तु" माना जा रहा है।

ग. घरेलू उद्योग एवं उसकी स्थिति

14. आवेदन सावेरा इंडिया राइडिंग सिस्टम्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने कहा है कि भारत में पीयूसी के तीन ज्ञात उत्पादक हैं, अर्थात् सावेरा इंडिया, एन. लिफ्टी इंजीनियर्स और नव दुर्गा स्टील कॉर्पोरेशन; एन. लिफ्टी इंजीनियर्स आवेदन का समर्थन करता है और लागू व्यापार सूचनाओं के अंतर्गत निर्धारित सूचना प्रस्तुत कर चुका है; तथा नव दुर्गा स्टील कॉर्पोरेशन ने वर्ष 2022-23 के बाद पीयूसी का उत्पादन बंद कर दिया और जांच की अवधि के दौरान उसका कोई उत्पादन नहीं था। आवेदक ने दावा किया है कि कुल भारतीय पीयूसी उत्पादन में उसका प्रमुख अनुपात है और समर्थक के साथ मिलकर आवेदन को जांच की अवधि के दौरान ज्ञात भारतीय उत्पादन की संपूर्णता का समर्थन प्राप्त है।

15. आवेदक ने प्रकट किया है कि उसने क्षति अवधि, जिसमें जांच की अवधि भी शामिल है, के दौरान चीन जन. गण. से पीयूसी की सीमित मात्राओं का आयात किया और चीन जन. गण. में पीयूसी के कुछ उत्पादक/निर्यातक उसके संबद्ध हैं, जिनमें से दो ने उक्त अवधि के दौरान भारत को सीमित मात्राओं का निर्यात किया। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इन परिस्थितियों में नियमावली के नियम 2(ख) का परंतुक लागू होता है, जिसके अंतर्गत ऐसा उत्पादक जो स्वयं कथित पाटित वस्तु का आयातक हो अथवा उसके किसी निर्यातक से संबंधित हो, घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर माना जा सकता है। आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि उसने संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान भारत में समान वस्तु का विनिर्माण और बिक्री जारी रखी। उसने आगे तर्क दिया है कि उसके सीमित आयातों का उपयोग पुनर्बिक्री के बजाय बेंचमार्किंग, परीक्षण और उत्पाद अभियांत्रिकी के लिए किया गया था। इसके अतिरिक्त, आवेदक की संबद्ध इकाइयों का संबद्ध देश से आयातों में केवल अल्प हिस्सा था और आवेदक ने स्वयं चीन जन. गण. से सभी आयातों, जिनमें उसकी अपनी संबद्ध इकाइयों द्वारा किए गए आयात भी शामिल हैं, पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया। जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी प्रथम दृष्टया मानते हैं कि आवेदक को घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर करना उचित नहीं है और आवेदक द्वारा किए गए आयातों की मात्रा, उद्देश्य एवं प्रभाव तथा संबद्ध उत्पादकों/निर्यातकों के साथ संबंध की प्रकृति एवं प्रभाव की जांच जांच के दौरान की जाएगी।

16. रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ में घरेलू उद्योग है। आवेदन नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है।

घ. संबद्ध देश

17. वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन जन. गण. है।

ड. जांच की अवधि

18. आवेदक ने जांच की अवधि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक प्रस्तावित की है, जो 12 माह की अवधि है। प्राधिकारी ने जांच की अवधि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च

2026 तक मानी है। क्षति जांच अवधि में वित्त वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 तथा जांच की अवधि शामिल है।

च. कथित पाटन का आधार

i. चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य

19. आवेदक ने चीन के अभिगम प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क) का उल्लेख करते हुए उस पर भरोसा किया है और दावा किया है कि चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए तथा चीन जन. गण. के उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के संबंध में उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं। जब तक चीन जन. गण. के उत्पादक यह प्रदर्शित नहीं करते कि ऐसी बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं, उनका सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।
20. आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में पीयूसी की लागत और कीमत से संबंधित सूचना सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है और प्रतिनिधिक तीसरे देश की निर्यात कीमतों का विश्वसनीय रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि संबंधित टैरिफ शीर्षकों में अन्य एलिवेटर/लिफ्ट पुर्जों और पीयूसी के दायरे से बाहर आने वाली उत्पाद श्रेणियां भी शामिल हैं। अतः आवेदक ने अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार, अपने भारित औसत उत्पादन लागत में उचित लाभ मार्जिन शामिल करने हेतु समायोजन करते हुए, चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य का दावा किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनुबंध-1 का पैरा 7, जहां उसमें निर्दिष्ट पूर्ववर्ती आधार उपलब्ध नहीं हों, किसी अन्य युक्तिसंगत आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण की अनुमति देता है, जिसमें समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में भुगतान की गई अथवा भुगतान योग्य कीमत, उचित लाभ मार्जिन शामिल करने हेतु विधिवत समायोजित, शामिल है। आवेदक द्वारा दावा की गई पद्धति को जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ विचार में लिया गया है और बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश के आधार की उपलब्धता तथा निर्मित सामान्य मूल्य के तत्वों की जांच जांच के दौरान की जाएगी।

II. निर्यात कीमत

21. विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत का निर्धारण डीजी सिस्टम्स के सौदा-वार आयात आंकड़ों में रिपोर्ट की गई विचाराधीन उत्पाद की सीआईएफ कीमत को ध्यान में रखकर किया गया है। कारखाना-द्वार निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, बैंक प्रभार, पतन व्यय, अंतर्देशीय भाड़ा तथा लदान और उतराई प्रभारों के संबंध में समायोजन का दावा किया गया है।

III. पाटन मार्जिन

22. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना-द्वार स्तर पर की गई है, जिससे प्रथम दृष्टया यह स्थापित होता है कि चीन जन. गण. से आयातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन मार्जिन सकारात्मक है और न्यूनतम सीमा से अधिक है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा विचाराधीन उत्पाद का भारत के घरेलू बाजार में पाटन किया जा रहा है।

ख. क्षति और कारणात्मक संबंध

23. आवेदक ने आरोप लगाया है कि चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु के पाटित आयात घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति पहुंचा रहे हैं और उसने इसके समर्थन में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना और प्राधिकारी के पास उपलब्ध डीजी सिस्टम्स के सौदा-वार आयात आंकड़े प्रथम दृष्टया दर्शाते हैं कि भारत में संबद्ध वस्तु की मांग क्षति अवधि के दौरान बढ़ी और संबद्ध आयातों की मात्रा प्रत्येक वर्ष, निरपेक्ष रूप से तथा भारत में मांग और उत्पादन के संबंध में, दोनों रूपों में बढ़ी; जांच की अवधि के दौरान संबद्ध आयात कुल भारतीय उत्पादन से कई गुना रहे और भारतीय बाजार के प्रमुख हिस्से के लिए उत्तरदायी रहे, जबकि अन्य स्रोतों से आयात शून्य अथवा नगण्य थे। घरेलू उद्योग मांग में वृद्धि के अनुरूप अपना उत्पादन, घरेलू बिक्री और क्षमता उपयोग बढ़ाने में असमर्थ रहा, क्षति अवधि में उसकी बाजार हिस्सेदारी घटी, वह पर्याप्त अप्रयुक्त क्षमता के साथ संचालित हुआ और उसकी मालसूची आधार वर्ष के स्तर से काफी ऊपर रही। संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से नीचे रही, जिसके परिणामस्वरूप जांच की अवधि के दौरान उल्लेखनीय कीमत कटौती हुई। घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत उसकी विक्रय लागत की तुलना में

अधिक घटी और क्षति अवधि के अंतिम दो वर्षों में उसकी विक्रय लागत से नीचे आ गई। घरेलू उद्योग का कर-पूर्व लाभ, ब्याज एवं कर-पूर्व लाभ और नियोजित पूंजी पर आय क्षति अवधि के प्रत्येक वर्ष में घटे और ऋणात्मक हो गए तथा जांच की अवधि के दौरान उसका नकद लाभ घटकर सीमांत स्तर पर आ गया।

24. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध आयातों की मात्रा प्रथम दृष्टया नगण्य नहीं है और जांच की अवधि के दौरान भारत में संबद्ध वस्तु के लगभग समस्त आयात संबद्ध देश से हुए हैं। नियमावली के अनुबंध-II को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ प्रथम दृष्टया मानते हैं कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के पर्याप्त साक्ष्य हैं, जिसमें संबद्ध आयातों का प्रतिकूल प्रभाव मुख्यतः घरेलू उद्योग की कीमतों और मात्राओं पर उनके प्रभाव के माध्यम से प्रकट होता है, और कथित पाटन तथा ऐसी क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के भी पर्याप्त साक्ष्य हैं। नियमावली के अनुबंध-II में सूचीबद्ध अन्य ज्ञात कारकों की जांच जांच के दौरान की जाएगी, ताकि ऐसे कारकों से हुई क्षति, यदि कोई हो, पाटित आयातों के कारण न मानी जाए।

ज. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

25. आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर तथा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को परिणामी वास्तविक क्षति और ऐसी क्षति तथा पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संबंध के संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर संतुष्ट होने के पश्चात, और पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी उचित राशि की सिफारिश करने के लिए पाटनरोधी जांच शुरू करते हैं, जो यदि लगाई जाती है तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।
26. आवेदक ने प्राधिकारी से नियमावली के नियम 13 के अनुसार प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करने और अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करने तथा अधिनियम

की धारा 9क के साथ पठित नियमावली के नियम 20(2)(ख) के अनुसार पाटनरोधी शुल्क को पूर्वव्यापी रूप से लगाने की सिफारिश करने का अनुरोध किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इन अनुरोधों का निर्धारण जांच की शुरुआत के चरण में अपेक्षित नहीं है। जांच के उपयुक्त चरण पर, यदि और जिस सीमा तक आवश्यक हो, इन पर विचार किया जाएगा तथा हितबद्ध पक्षकार इस अधिसूचना में निर्धारित समय सीमा के भीतर इस संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

झ. प्रक्रिया

27. वर्तमान जांच में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

28. सभी हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल (<http://setu.dgtr.gov.in>) पर अपना पंजीकरण करना आवश्यक है। हितबद्ध पक्षकारों के सभी संचार और प्रस्तुतियां उनके पंजीकृत नाम तथा संगत मामला आईडी-AD/OI/046/2026 के अंतर्गत सेतु पोर्टल पर अपलोड की जाएंगी। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तुति का विवरणात्मक भाग खोज-योग्य PDF/MS-Word प्रारूप में तथा डेटा फाइलें MS-Excel प्रारूप में हों।

29. संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उसके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार तथा भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को अलग से सूचित किया जा रहा है, ताकि वे नीचे निर्धारित समय सीमाओं के भीतर सभी संगत सूचना दायर कर सकें।

30. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय सीमाओं के भीतर निर्धारित रूप और तरीके से वर्तमान जांच से संबंधित प्रस्तुति कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय प्रस्तुति करने वाले किसी पक्षकार को उसका अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराना आवश्यक है।

31. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान जांच से संबंधित किसी अद्यतन सूचना के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट

www.dgtr.gov.in और सेतु पोर्टल (<http://setu.dgtr.gov.in>) पर नियमित निगरानी रखें। हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे संबद्ध जांच में आगे के घटनाक्रम से अवगत रहने तथा प्रश्नावली प्रारूपों, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/बैठक की समय-सारणी, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचनाओं और ऐसी अन्य सूचना से संबंधित समय-समय पर जारी होने वाली सूचनाओं की जानकारी रखने के लिए डीजीटीआर की वेबसाइट (<http://dgtr.gov.in/>) नियमित रूप से देखें।

ट. समय सीमा

32. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सेतु पोर्टल (<http://setu.dgtr.gov.in>) पर उनके पंजीकृत नाम तथा संगत मामला आईडी - AD/OI/046/2026 के अंतर्गत अपलोड की जानी चाहिए। प्रत्येक प्रस्तुति के दोनों पाठ, अर्थात् गोपनीय पाठ (CV) और अगोपनीय पाठ (NCV), ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों तथा संबद्ध देश/देशों के राजनयिक प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों को, अन्य बातों के साथ-साथ, आवेदन का अगोपनीय पाठ और संबंधित प्रश्नावली/प्रश्नावलियां संलग्न सूचना-पत्रों के प्रेषण की तारीख से 37 दिनों के भीतर, पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार, संबंधित निर्दिष्ट कॉलमों में अपलोड किए जाने चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी है, तो प्राधिकारी रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुसार अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
33. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) की सूचना दें और इस अधिसूचना में निर्धारित उपर्युक्त समय सीमा के भीतर केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से अपनी प्रश्नावली के उत्तर दायर करें।
34. पीयूसी/पीसीएन पद्धति के दायरे पर टिप्पणियां दायर करने की 15 दिन की अवधि इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के साथ-साथ चलेगी।
35. पीयूसी/पीसीएन में संशोधन के कारण समय विस्तार: यदि प्राधिकारी किसी बाद की सूचना के माध्यम से पीयूसी और पीसीएन में ऐसा संशोधन करते हैं जो पहले प्रस्तावित

नहीं था अथवा जांच शुरुआत अधिसूचना से भिन्न है, तो 15 दिनों का समय विस्तार दिया जाएगा। 15 दिनों का यह विस्तार संशोधित पीयूसी और पीसीएन संबंधी ऐसी अधिसूचना की तारीख से दिया जाएगा। इस पैरा में उल्लिखित 15 दिनों का समय विस्तार उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां जांच शुरु होने के बाद पीयूसी और पीसीएन पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। 15 दिनों के समय विस्तार (यदि दिया गया हो) से आगे अतिरिक्त समय विस्तार के अनुरोधों पर पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुरूप, असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, सामान्यतः विचार नहीं किया जाएगा।

36. समय विस्तार का कोई भी अनुरोध संबंधित पक्षकारों द्वारा मूल समय सीमा से कम से कम एक दिन पहले सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके बाद प्रस्तुत अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

37. वर्तमान जांच में जहां कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय प्रस्तुति करता है अथवा गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करता है, वहां ऐसे पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय पाठ साथ-साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपर्युक्त का अनुपालन न करने पर उत्तर/प्रस्तुतियां अस्वीकार की जा सकती हैं।
38. प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नावली के उत्तरों सहित कोई भी प्रस्तुति (उसके साथ संलग्न परिशिष्टों/अनुबंधों सहित) करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय पाठ अलग-अलग दायर करना आवश्यक है।
39. ऐसी प्रस्तुतियों के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर “गोपनीय” अथवा “अगोपनीय” स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी के समक्ष की गई कोई भी प्रस्तुति प्राधिकारी द्वारा “अगोपनीय” सूचना मानी जाएगी और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी प्रस्तुतियों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
40. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वभावतः गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना, जिसके संबंध में सूचना का आपूर्तिकर्ता गोपनीयता का दावा करता

है। स्वभावतः गोपनीय होने का दावा की गई सूचना अथवा अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में, सूचना के आपूर्तिकर्ता को दी गई सूचना के साथ यह बताते हुए उचित कारण का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है कि ऐसी सूचना प्रकट क्यों नहीं की जा सकती।

41. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर सूचना का अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ की प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय सूचना को अधिमानतः सूचकांकित किया जाए अथवा, जहां सूचकांकन संभव न हो, रिक्त किया जाए; और जिस सूचना पर गोपनीयता का दावा किया गया है उसकी प्रकृति के अनुसार ऐसी सूचना का उचित एवं पर्याप्त सार प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
42. अगोपनीय सार में इतना पर्याप्त विवरण होना चाहिए कि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना के सारतत्त्व को युक्तिसंगत रूप से समझा जा सके। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह संकेत कर सकता है कि ऐसी सूचना का सार प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है; ऐसी स्थिति में नियमावली, 1995 के नियम 7 तथा प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त एवं समुचित स्पष्टीकरण सहित कारणों का विवरण, जिसमें यह बताया गया हो कि ऐसा सार प्रस्तुत करना क्यों संभव नहीं है, प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए प्रस्तुत करना होगा।
43. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय पाठ के परिसंचरण की तारीख से 7 दिनों के भीतर गोपनीयता से संबंधित मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।
44. जिस प्रस्तुति के साथ उसका सार्थक अगोपनीय पाठ अथवा गोपनीयता के दावे के संबंध में नियमावली के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त एवं समुचित कारण का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया हो, उसे प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।
45. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जांच करने के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है, अथवा सूचना का आपूर्तिकर्ता सूचना को

सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत अथवा सार रूप में उसके प्रकटन को अधिकृत करने के लिए इच्छुक नहीं है, तो प्राधिकारी ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकते हैं।

46. प्राधिकारी, उपलब्ध कराई गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होकर उसे स्वीकार करने पर, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार की विशिष्ट अनुमति के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

47. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा की गई प्रस्तुतियों के सभी अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉग-इन के माध्यम से उपलब्ध होंगे।

ढ. असहयोग

48. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना तक पहुंच देने से इंकार करता है या अन्यथा उचित अवधि के भीतर अथवा इस जांच शुरुआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराता है, अथवा जांच में उल्लेखनीय रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं, रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं जिन्हें वे उचित समझें।

Digitally signed by
Amitabh Kumar
Date: 25-09-2026
16:27:08

अमिताभ कुमार

निर्दिष्ट प्राधिकारी